# कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक,चन्दौली।

पत्रांक/ /राजकीय प्रतिनियुक्ति/2017–18 दिनांक 28.08.2017

**प्रेस–विज्ञप्ति**

अपर मुख्य सचिव,उ0प्र0शासन लखनऊ शिक्षा अनुभाग–2 दिनांक 21.08.2017 द्वारा दिये गये निर्देश के कम में अवगत कराना है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों(एल0टी0ग्रेड) के रिक्त पदों पर बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत शिक्षकों में से अर्हताधारी शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर तथा राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सेवानिवृत्त सहायक अध्यापकों की मानदेय पर तैनाती की जानी है।

**प्रतिनियुक्ति का आधार निम्नवृत है–**

1–बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन विशिष्ट बी0टी0सी0 के माध्यम से चयनित एवं कार्यरत शिक्षक/शिक्षिका की शैक्षिक अर्हता राजकीय माध्यमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक/प्रवक्ता पद की शैक्षिक अर्हता के समान हो।

2–विशिष्ट बी0टी0सी0 के माध्यम से चयनित एवं कार्यरत शिक्षक/शिक्षिका के अतिरिक्त बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत अन्य शिक्षक/शिक्षिका भी होगें जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक/प्रवक्ता के शैक्षिक अर्हता के समान शैक्षिक अर्हता रखते होगें तथा वह राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन हेतु प्रतिनियुक्ति पर आने के इच्छुक होगे।

3–बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित कतिपय जनपदों के विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुपात से अधिक अध्यापक कार्यरत है,जिनको प्रतिनियुक्ति पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में उच्च कक्षाओं में अध्यापन का अवसर प्राप्त होगा।

4–

**प्रतिनियुक्ति /मानदेय की शर्तः–**

1–प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने वाले सहायक अध्यापक की प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 31मार्च,2019 अथवा रिक्त पद के सापेक्ष नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो तक ही होगी।

2–राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सेवा निवृत्त शिक्षक/शिक्षिका की सेवा अवधि दिनांक 31 मार्च,2018 तक अथवा रिक्त पद के सापेक्ष नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो तक ही होगी।

3–राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों वही सेवा निवृत्त शिक्षक/शिक्षिका आवेदन–पत्र देने हेतु अर्ह होंगे जिनकी अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी तथा उन्हें स्वस्थता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना होगा।

4–सेवानिवृत्त शिक्षकों को मानदेय के रूप में वह नियत धनराशि अनुमन्य होगी जो संबंधित शिक्षक के अन्तिम आहरित वेतन में से शुद्ध पेंशन की धनराशि(राशिकरण के पूर्व, यदि कोई हो)घटाने के फलस्वरूप आये।

5–प्रतिनियुक्ति तथा उपरोक्त सेवा निवृत्त शिक्षको की नियुक्ति नितान्त अस्थायी प्रकृत की होगी तथा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

6–प्रतिनियुक्ति पर चयनित शिक्षक/शिक्षिकाओं की तैनाती तथा सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति प्रथम चरण में माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय शिक्षक/शिक्षिका के लिये स्थानान्तरण/समायोजन नीति, 2017 संबंधित शासनादेश संख्या–779/15–2–2017–552/2017 दिनांक 29.06.2017 में निहित प्राविधानुसार विद्यालयों रिक्त पद के प्रति की जायेगी।

7--प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को मूल विभाग(बेसिक शिक्षा विभाग)में वापस कर दिया जायेगा,उनकी तैनाती के संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अपने स्तर से निर्णय लिया जायेगा।

8--प्रतिनियुक्ति पर आये परिषदीय विद्यालय के अध्यापकों को उनके द्वारा प्राप्त समान वेतन दिया जायेगा।

9--प्रतिनियुक्ति पर आये शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नही होगा।

10--प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये जाने वाले कार्मिकों द्वारा भविष्य में संविलियन की मॉग नही की जायेगा,इस आशय का प्रति शपथ पत्र प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये जाने से पूर्व संबंधित कार्मिक से प्राप्त कर लिया जायेगा।

11--बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालय में मौलिक रूप से नियुक्ति कार्यरत ऐसे अध्यापकों को इस शर्त के साथ प्रतिनियुक्ति दी जायेगी की परिषदीय अध्यापक का धारणा अधिकार प्रतिनियुक्ति से वापस आने पर अपने मौलिक रूप से नियुक्त/तैनाती के जनपद एवं मूलपद के सापेक्ष रहेगा।

जनपद के इच्छुक बेसिक शिक्षा विभाग के पात्र शिक्षकों तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त राजकीय शिक्षको से आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेगें।बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापक तथा उनसे रिक्त पदों की पूर्ति नही होने की दशा में सेवानिवृत्त माध्यमिक अध्यापकों के आवेदन से चयन होगा।इच्छुक शिक्षक अपना आवेदन पत्र पूर्व कर दिनांक 06.09.2017 तक ई--मेल rmsa.chandauli@gmail.com अथवा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में निर्धारित समय के अन्तर्गत प्राप्त करावे,निर्धारित समय सीमा के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जायेगा। जनपद के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की विद्यालयवार/पदवार रिक्त का विवरण कार्यालय--जिलाधिकारी,मुख्य विकास अधिकारी,,कोषाधिकारी,जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं अधोहस्ताक्षरी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा है।

(रवीन्द्र सिंह)
जिला विद्यालय निरीक्षक,
चन्दौली।

पृ0स0/ 1967-73 / राजकीय प्रतिनियुक्ति/ /2017--18 दिनांक
प्रतिलिपि--निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1--शिक्षा निदेशक(मा0),उ0प्र0लखनऊ।
2--जिलाधिकारी, महोदय,चन्दौली।
3--मुख्य विकास अधिकारी,चन्दौली
4--जिला सूचना विज्ञान अधिकारी(NIC)चन्दौली को इस आशय के साथ प्रेषित की उक्त सूचना को जिले के बेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5--जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,चन्दौली।
6--जिला सूचना अधिकारी,चन्दौली।
7-- दैनिक सम्पादक,दैनिक जागरण,हिन्दुस्तान,अमर उजाला,आज,समाचार ज्योति एवं जनसन्देश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जनहित में इसे अपने दैनिक समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन करने का कष्ट करें।

28/8/2017

(रवीन्द्र सिंह)
जिला विद्यालय निरीक्षक,
चन्दौली।

# प्रतिनियुक्ति/मानदेय के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की तैनाती का आवेदन पत्र

नवीनतम् फोटो

1–आवेदित पद का नाम(विषय सहित)..................................................................

2–अभ्यर्थी का नाम.........................................................................................

3–पिता/पति का नाम........................................................................................

4–जन्मतिथि ................................. आयु वर्ष में...........................................................

5–स्थायी पता..............................................................................................................................

6–पत्र व्यवहार का पता...................................................................................................................

7–आधार नम्बर..............................................................................................................................

8–दूरभाष / मोबाईल नम्बर................................................................................................................

9–कार्यरत विद्यालय का नाम(सेवानिवृत्त/वर्तमान).......................................................................

10–अन्य विवरण.............................................................................................................................

**शैक्षिक योग्यता का विवरण**

| परीक्षा का नाम | वर्ष | समस्त विषय | बोर्ड/संस्था | पूर्णांक | प्राप्तांक | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| हाईस्कूल | | | | | | |
| इण्टरमीडिएट | | | | | | |
| स्नातक | | | | | | |
| परास्नातक | | | | | | |
| बी0एड0 | | | | | | |
| अन्य डिग्री/डिप्लोमा आदि | | | | | | |

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी समस्त उपरोक्त सूचनाएँ सही है,मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छुपाया नही गया है मै वर्तमान में इस .................................................. .........................विद्यालय में कार्यरत हूँ/इस विद्यालय.............................................................से दिनांक.......................... को इस पद................. से सेवानिवृत्त हुआ हूँ,यदि मेरे द्वारा दी गयी सूचनाऐ गलत पायी जाती है तो मेरा चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये मुझे कोई आपत्ति भविष्य मे नही होगी।

दिनांक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का पूरा नाम व पता

अग्रसारित

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जनपद–